न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी   राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का किनसरीया

बनाम

अप्रार्थी :– श्री भंवरलाल पुत्र खेताराम मेघवाल निवासी खैदरपुरा

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 48 / 17

निर्णय दिनांक   02 / 11 / 2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कीनसरिया ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद खैदरपुरा के ख.न 560 रकबा 0.83 है. भूमि किस्म बारानी में कब्जा एंव फसल बोकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वंय से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी दिनांक 15.9.2017 को उपस्थित हुए लेकिन कोई जबाब प्रस्तुत नही किया अतः अप्रार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिकमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति हैक्टेयर से की दर से अतिकमित रकबा 0.830 है. भूमि के 5.15 रूपये लगान का 50 गुणा 258/– अक्षरे दो सौ अट्ठावन रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। साथ ही मौके पर बोई फसल की फसल को भू.अ.निरीक्षक परबतसर द्वारा कुर्क कर निलाम की गई जिसमें अन्तिम बोली रूपये 600/ अक्षरे ~~एक हजार एक~~ छः सौ ~~बत्तीस~~ रूपये श्री ईश्वर सिंह पुत्र शिवबक्ष सिंह किनसरिया की रही जो स्वीकृत की गई जुर्माना एंव फसल निलामी राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर एंव भू.अ.निरीक्षक परबतसर को वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भोतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल द तर हो।

तहसीलदार परबतसर

पंजिका 'ग' नम्बर 17-D के पृष्ठ सं. 3 2581/- व 600/- रु को

तहसील राजस्व लेखाकार